न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:—06 / 2023

जी.सी.एम.एस नं.—2023 / 60

1. त्रिलोक चन्द पुत्र गणेश नाथ आयु लगभग 60 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं. —19 चक 24 ए एस सी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र गणेश नाथ आयु लगभग 40 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं. —19 चक 24 ए एस सी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. कमला पुत्री गणेश नाथ आयु लगभग 48 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं.—19 चक 24 ए एस सी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. फूलादेवी पुत्री गणेश नाथ आयु लगभग 46 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं.—19 चक 24 ए एस सी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगागनर।
5. रेशमा पुत्री गणेश नाथ आयु लगभग 44 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं.—19 चक 24 ए एस सी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगागनर।
6. राधादेवी पुत्री गणेशनाथ आयु लगभग 42 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं.—19 24 ए एस सी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगागनर।
7. पूजा पुत्री णेशनाथ आयु लगभग 42 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं.—19 24 ए एस सी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगागनर

——— अपीलान्टस्

बनाम्

1. चुकली पुत्री चेलाराम जाति नायक निवासी चक 3 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. धुकली बाई पुत्री चेलाराम जाति नायक निवासी चक 3 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. जडूदवी पुत्री चेलाराम जाति नायक निवासी चक 3 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. धनकी पुत्री चेलाराम जाति नायक निवासी चक 3 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. विघादेवी पुत्री चेलाराम जाति नायक निवासी चक 3 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. गोरा देवी पुत्री चेलाराम जाति नायक निवासी चक 3 जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:33 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

7. सरपंच, ग्राम पंचायत 9 एल एम पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

-----रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल एम जिसकी रूह से इन्तकाल संख्या 312 दिनांक 18.08.2021 को दर्ज किया गया, को दुरूस्त करने के सम्बन्ध में।

वकील उपस्थित

1. दादू खां जोईया एडवोकेट अपीलान्टस की ओर से
2. योगेन्द्र कुमार एडवोकेट रेस्पोडेन्टस की ओर से

-:: निर्णय ::- दिनांकः- 29/9/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टस की नानी जीवली पत्नी चेलाराम के नाम से वाके चक 2 जे.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.-34 पत्थर नम्बर 202/39 के किला नम्बर 01 ता 12 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 13/1 का 0.120 हेक्टर गुल 3.162 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलान्टस की नानी जीवली पत्नी चेलाराम का देहान्त हो चुका है। अपीलान्टस की नानी जीवली वृद्धावस्था में अपने जीवन काल में अपीलान्टस के पिता गणेश नाथ के पास ही रहती थी। क्योंकि स्वर्गीय जीवली के कोई नरीना औलाद नहीं था केवल मात्र 6 पुत्रियां ही थी जो अपने अपने ससुराल में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। अपीलान्टरा के पिता ही अपनी सास यानि अपीलान्टगण की नानी की सेवा चाकरी व सार संभाल करते थे और उक्त अपीलाधीन कृषि भूमि को स्वर्गीय जीवली के जीवन काल से ही काश्त एवं सार संभाल करते आ रहे थे। अपीलान्टस की नानी जीवली ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी उक्त अपीलाधीन खातेदारी कृषि भूमि की व्यवस्था करते हुए अपीलान्टस के पिता गणेशनाथ की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर स्नेह एवं प्रेमवश एक वसीयत दिनांक 27.01.2011 गवाहान अपीलान्टस के पिता गणेश नाथ पुत्र मंगलाराम के पक्ष में लिखवाकर वसीयत को अपने पूर्ण होशो हवास से सुन समझकर व उसे सही होना मानकर अपनी अंगूठा निशानी लगाकर निष्पादित किया व उक्त वसीयत को [illegible] उप पंजीयक घड़साना के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 27.01.2[illegible] अपीलान्टस के पिता के हवाले की थी। अपीला[illegible] के पिता गणेश [illegible] की मृत्यु दिनांक 24.05.2018 को हो चुकी है। अपीलान्टस की नानी स्वर्गीय जीवली [illegible] अपीलान्टस के पिता गणेश नाथ के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.01.2011 की जानकारी रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 05 को भी भली भांति थी लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पोरेन्टस संख्या 01 ता 06 ने मिलीभगत करके अपीलाधीन कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल संख्या 312 दिनांक 18.08.2021 को दर्ज करवाकर इसे दिनांक 06.09.2021 को

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रेस्पोडेन्ट संख्या 07 सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल.एम. से जरिए प्रस्ताव संख्या 04, रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 06 ने अपने नाम से स्वीकृत करवाकर इन्तकाल दर्ज करवा लिया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस की ओर से अनवानी अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल.एम. द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्यान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती के है। अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न अपील है। सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल.एम. द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भू राजस्व अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्यान्तों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्ती के है। अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत पूछा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 06 ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मेरी जानकारी से बाहर हैं तथा मौके पर अपीलाधीन कृषि भूमि पर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 का हिस्सेवार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जीवली की मृत्यु दिनांक 07.12.2019 को हो गई थी जिसका दाह संस्कार, क्रियाकर्म व तमाम रस्में रेस्पोडेन्ट संख्या 06 द्वारा किया गया था। अपीलान्टस की नानी जीवली ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी उक्त अपीलगीधीन खातेदारी कृषि भूमि की व्यवस्था करते हुए अपीलान्टस के पिता गणेश नाथ की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर स्नेह एवं प्रेमवश एक वसीयत दिनांक 27.01.2011 को गवाहान अपीलान्टस के पिता गणेश नाथ पुत्र मंगलाराम के पक्ष में लिखवाकर वसीयत को अपने पूर्ण होशों हवास से सुन समझकर व सही होना मानकर अपनी अंगूठा निशानी लगाकर निष्पादित किया व उक्त वसीयत को स्वयं उप पंजीयक घड़साना के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 27.01. 2011 को उप पंजीयक से पंजीबद्ध करवाकर अपीलान्टस के पिता के हवाले की थी। अपीलान्टस के पिता की मृत्यु दिनांक 24.05.2018 को हो चुकी है। स्वर्गीय जीवली द्वारा अपीलान्टस के पिता गणेश नाथ के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 27.01. 2011 की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 को भी भली भांति थी लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 ने मिलीभगत से अपीलाधीन कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दिनांक 06.09. 2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 07 सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल.एम. से स्वीकृत कर दर्ज करवा लिया है। लेकिन सरपंच द्वारा समस्त तथ्यों की जांच किये बिना व अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्ती के है। अपीलाधीन कृषि भूमि अपीलान्टस की नानी के जीवनकाल से ही अपीलान्टस के पिता के निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में रहा था तथा अपीलान्टस के पिता के देहान्त उपरान्त अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 का हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलान्टस की नानी के देहान्त उपरान्त उनके द्वारा निष्पादित वसीयत प्रभाव में आ चुकी है और उक्त वसीयत के आधार पर उक्त अपीलाधीन कृषि भूमि के समस्त प्रकार के मालिकाना हक, अधिकार व आधिपत्य अपीलान्टस के पिता के

कार्यालय उप जिला ... जिला श्रीगंगानगर
Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:33 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अधिकार के तहत अपीलान्टस में निहित हो चुके हैं। चूंकि अपीलान्टस के पिता की दिनांक 24.05.2018 को मृत्यु हो चुकी है जिसके अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है तथा अपीलान्टस अपने पिता के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलाधीन कृषि भूमि का अपने व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के नाम इन्तकाल दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी एवं दावेदार है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नरजअन्दाज कर व बिना मौका की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्ती के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 07 सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल.एम. का अपीलाधीन इन्तकाल आदेश दिनांक 06.09.2021 का है जो कि अपीलान्टस को बिला पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये बिना एक पक्षीय पारित किया गया है जिसकी अपीलान्टस को पूर्व में कतई जानकारी नही थी। अपीलान्टस के पिता एवं नानी के देहान्त के उपरान्त अब अरसा 5–10 दिन पूर्व अपीलान्टस पटवारी हल्का के पास वसीयत की प्रति लेकर गये और उन्हें वसीयत के आधार पर अपने नाम से इन्तकाल की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो अपीलान्टस को पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल दिनांक 06.09.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 06 के नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज होने के बारे में जानकारी दी गई। जिस पर अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी होने के उपरान्त अपीलान्टस ने अपीलाधीन इन्तकाल की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर व अपने अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर यह अपील आज रोज बिना किसी देरी के अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपीलान्टस की नानी के देहान्त के उपरोन्त उनके द्वारा निष्पादित वसीयत प्रभाव में आ चुकी है और उक्त वसीयत के आधार पर उक्त अपीलाधीन कृषि भूमि के समस्त प्रकार के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य अपीलान्टस के पिता के अधिकार के तहत अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 में निहित हो चुके हैं। चूंकि अपीलान्टस के पिता की दिनांक 24.05.2018 को मृत्यु हो चुकी है जिसके अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है तथा अपीलान्टस अपने पिता के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलाधीन कृषि भूमि में अपीलान्टस का हक व हिस्सा निहित है लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल.एम. का अपीलाधीन इन्तकाल आदेश दिनांक 06.09.2021 एक पक्षीय है जो कि अपीलान्टस को बिना पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये बिना एक पक्षीय पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्टस अपीलाधीन आदेश से सीधे तौर पर व्यथित [illegible] पक्षकार हैं इसलिए अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी हैं। [illegible] है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए अपीलान्टस की ओर से अलग से [illegible] पत्र पेश कर निवेदन किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ व्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत 15 एल.एम का अपीलाधीन इन्तकाल आदेश दिनाक 06.09.2021 जिसकी फड से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 06 के नाम से विरासतन इमाकाल संख्या 312 दिनांक 18.08. 2021 को दर्ज किया जाकर इसे दिनांक 06.09.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

को स्वीकृत किया गया हैं जो निरस्त किया जाकर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के नाम पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.01.2011 के आधार पर अपीलाधीन कृषि भूमि का इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट सं.–1 ता 5 की ओर से योगेन्द्र कुमार एडवोकेट ने उपस्थिति हुए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 07 सरंपच ग्राम पंचायत 15 एल.एम. का अपीलाधीन इन्तकाल सं.–312 आदेश दिनांक 06.09.2021 का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस में मुख्तयः अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया हैं कि जीवली ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पिता गणेशनाथ के पक्ष में अपीलाधीन कृषि भूमि की वसीयत की थी, वसीयतकर्ता जीवली एवं अपीलांट के पिता गणेशनाथ का स्वर्गवास हो गया है। जीवली के मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर अपीलांट अपीलाधीन कृषि भूमि का नामान्तरण वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में करवाने अधिकारी हैं लेकिन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना विरास्तन इन्तकाल गलत दर्ज किया गया है। इसलिए विरास्तन इन्तकाल निरस्त होने योग्य हैं जिसे निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः कथन किया हैं कि वसीयत जीवली द्वारा निष्पादित नहीं है। वसीयत फर्जी व कूटरचित है। वसीयत में प्राकृतिक वारिसों पुत्रियों को वंचित करने का कोई कारण नहीं बताया है इससे भी साबित है कि वसीयत संदिग्ध है। ना ही जीवली गणेशनाथ के पास रहती थी और ना ही जीवनी की सार–संभाल सेवा चाकरी गणेशनाथ ने की है। गणेश नाथ 24 ए.एस.सी., घड़साना का निवासी है जबकि जीवली तहसील करणपुर के चक 6 ओ में निवास करती थी और 6ओ में ही जीवली का स्वर्गवास चुका है। जीवली से पूर्व गणेशनाथ की मृत्यु हो गयी है इसलिए कानूनन वसीयत रद्द हो गयी है। कानूनन वसीयत पंजीकृत होने केवल मात्र से वसीयत को साबित व प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। वसीयत के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम .के अनुसार साबित करना आज्ञात्मक है। अपीलांट ने वसीयत के आधार पर अधिकारों की घोषणा को नियमित वाद इस न्यायालय में पेश कर रखा है। अपीलांट को नियमित वाद में वसीयत को साबित करना आवश्यक व अपेक्षित है। विरास्तन इन्तकात नियमानुसार सही स्वीकृत किया गया है। इसलिए अपीलान्ट की अपील खारिज होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की ब[illegible]ई। वकील अपीलांटस द्वारा दौरान बहस कथन किया कि अ[illegible] जीवली ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पित[illegible] कृषि भूमि की वसीयत की थी, वसीयतकर्ता जीवली एवं अपीलांट के पि[illegible] गणेशनाथ का स्वर्गवास हो गया है। जीवली के मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर अपीलांट अपीलाधीन कृषि भूमि का नामान्तरण वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में करवाने अधिकारी हैं लेकिन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना विरास्तन इन्तकाल गलत दर्ज किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:33 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

न्यायालय की राय में पत्रावली पर संलग्न इंतकाल संख्या 312 दिनांक 06.09.2021 से संबंध नामान्तरकरण रजिस्टर के पृष्ठों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि इन्तकाल संख्या 312 को दर्ज कर दिया गया जो कतई गलत अशुद्ध, अवैधानिक होने के कारण काबिल दुरूस्ती/निरस्ती के है। उपर्युक्त विवेचन एवं अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 15 एल एम द्वारा तस्दीक एवं अपीलग्रस्त इंतकाल संख्या 312 दिनांक 06.09.2021 को निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि विधिक प्रावधान अनुसार उभय पक्ष को सुनकर पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज **दिनांक** 29/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:33 IST
Reason: SelfAttested